प्रेषक,

रवि शंकर गुप्ता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 07अप्रैल, 2020

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन मद में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक-01/वित्त संभाग-3/ आवं0/ 2020-21, दिनांक 01.04.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-16 अन्तर्गत निदेशन एवं प्रशासन मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2404-डेरी विकास -001 -निदेशन तथा प्रशासन- 03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें में कुल प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 3107.31 लाख (रू0 इक्तीस करोड़ सात लाख इक्तीस हजार मात्र) के व्यय हेतु निम्नलिखित मदों में उनके सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित धनराशि के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

मुख्य शीर्षक मानक मद/कोड	**वित्तीय वर्ष 2020-21 में आय-व्ययक प्राविधान**	**वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधान के सापेक्ष स्वीकृति**
1	**2**	**3**
01-वेतन	2266.00	2266.00
02-मजदूरी	5.70	5.70
03-मंहगाई भत्ता	566.50	566.50
04-यात्रा व्यय	10.00	10.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8.00	8.00
06-अन्य भत्ते	2.00	2.00
08-कार्यालय व्यय	6.00	6.00
09-विद्युत देय	6.00	6.00
10-जलकर/जल प्रभार	0.50	0.50
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	2.50	2.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
13-टेलीफोन पर व्यय	2.00	2.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15-गाडियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	9.00	9.00
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	7.00	7.00
17-किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	16.00	16.00
18- प्रकाशन	0.01	0.01
42-अन्य व्यय	0.10	0.10
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	1.00	1.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.00	2.00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00	5.00
49-चिकित्सा व्यय	35.00	35.00
51-वर्दी व्यय	1.00	1.00
55- मकान किराया भत्ता	126.00	126.00
56- नगर प्रतिकर भत्ता	20.00	20.00
58- आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	7.50	7.50
योग-	3107.31	3107.31

(रू0 इक्तीस करोड़ सात लाख इक्तीस हजार मात्र)

3- उपर्युक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विभाग) के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- **'2404-डेरी विकास-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-सहकारी दुग्ध सप्लाई योजनायें"** के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा और जहां वित्तीय नियमों/शासकीय निर्देशों के अनुसार अपेक्षित हो, धनराशि का आहरण, व्यय करने के पूर्व शासन/विभाग के सक्षम प्राधिकारियों की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का मदवार उपभोग प्रमाण-पत्र यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय ।

6- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

--3

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-6/2020 /338(1)/53-2-2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

2- प्रधानमहालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज (इलाहाबाद)।

3- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।

6- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्ध आयुक्त कार्यालय, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बिन्द गोपाल द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।